

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/

प्रार्थीगण

बनाम

2032

अप्रार्थीगण

दिनांक - 30/8/19

1 उदाराम पुत्र नानगाराम वगैराह जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।


1 किशनाराम पुत्र रेखाराम वगैराह जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।

पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 17/2017

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राऊजी की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 406/367 रकबा 58.03 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/ 2033-2036
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 30/8/19

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. उदाराम पुत्र नानगाराम वगैराह जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी किशनाराम पुत्र रेखाराम वगैराह जाति जाट निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर